UPGK010012282026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–612/2026
विशाल यादव पुत्र संतोष यादव,
निवासी–नौसढ़, थाना गीडा, जनपद गोरखपुरः

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी

मु0अ0सं0 605/2025
धारा–126(2), 115(2), 351(3), 352, 110, 331(6)
भारतीय न्याय संहिता,
थाना गीडा, जनपद गोरखपुर।

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–482 के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त विशाल यादव की तरफ से मु0अ0सं0 605/2025 धारा–126(2), 115(2), 351(3), 352, 110, 331(6) भारतीय न्याय संहिता, थाना गीडा, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– यहॉ यह उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र 148/2026 आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण पूर्व में निरस्त किया जा चुका है।

3– अग्रिम जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 18.10.2025 को समय करीब 10.00 बजे रात को वादी मुकदमा अभिषेक प्रजापति अपने दोस्त कर्मवीर से मिलने जा रहा था तो देखा कि तीन व्यक्ति बाघागाड़ा चौराहे से वादी का पीछा करते हुए आ रहे थे। वादी को संदेह हुआ तो वह अपनी गाड़ी को तेज करना चाहा कि तीनों व्यक्ति विशाल यादव, अमर यादव व अमित गौड़ वादी को रोक लिये। जब वादी ने रोकने का कारण पूछा तो सभी मिलकर लाठी–डण्डा से मारने–पीटने लगे। वादी अपनी गाड़ी छोड़कर भागता हुआ कर्मवीर के घर के अंदर घुसकर अंदर से कमरे की कुण्डी बंद कर लिया। कुछ देर बाद पीछे से तीनों व्यक्ति छिपकर आये और धक्का देकर कमरे की कुण्डी तोड़ दिये तथा घर से घुसकर पुनः

मारे–पीटे। वादी चिल्लाया तो तमाम लोग इकट्ठा हुए तब अभियुक्तगण गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। अभियुक्तगण के मारने–पीटने से वादी को काफी गमीीर चोटें तथा वह चक्कर खाकर बेहोश हो गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र में यह आधार लिया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा मेडिकल रिपोर्ट में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। आवेदक की प्रस्तुत घटना में कोई विशेष भूमिका नहीं दर्शायी गयी है। वादी मुकदमा के शरीर पर जो चोटें आना दर्शाया गया है वह साधारण प्रकृति की है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तद्नुसार आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने अग्रिम जमानत प्रा0पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को घर में घुसकर मार–पीट कर उसे गम्भीर चोटें पहुॅचाई गई। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास है तथा उसके खिलाफ 09 आपराधिक वाद पंजीकृत है। अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अब तक की विवेचना में केस डायरी पर उपलब्ध वादी मुकदमा अभिषेक प्रजापति की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसे कोई उपहति आना नहीं बताया गया है। यद्यपि अभियेाजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास होना एवं उसके खिलाफ 09 आपराधिक वाद दर्ज होना बताया गया है, लेकिन किसी मामले में उसे दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा अभियोजन का कोई तर्क नहीं है। मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. आवेदक/अभियुक्त विशाल यादव का उपरोक्त द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन रू. 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये–

1– आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक सप्ताह विवेचक के समक्ष विवेचना में सहयोग हेतु उपस्थित रहेगा,

2– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

3– यदि आवेदिका/अभियुक्ता के पास पासपोर्ट है तो वह इसे विवेचक/सम्बन्धित न्यायालय में जमा करायेगा,

4– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों/आरोप विरचित किये जाने, विचारण व निर्णय आदि की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

5– आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बंध–पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा,

6– आवेदक/अभियुक्त उस अपराध, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा,

7– आवेदक/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति का न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

9. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–19.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 15:03:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court